संख्या:98/2023/1733/2023/12-2099/50/2023

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लि0, उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 05 दिसम्बर, 2023

विषय: यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के नियमित समूह 'घ' के कार्मिकों को बॉडी-शापिंग के आधार पर कृषि विभाग के विभिन्न विभागों में नियोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 द्वारा स्थापना वर्ष 1967 से कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं यथा कृषि यंत्रीकरण, खाद, बीज, कीटनाशक एवं कृषि रक्षा रसायन इत्यादि कृषि निवेशों से संबंधित योजनाएं, पशुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु पशु-पक्षी आहारों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता रहा है।

2. यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों का अनुभागवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:-

श्रेणी	मुख्यालय	विपणन मण्डल	पशु आहार मण्डल	कृषि वर्कशॉप	सेवाऐं	योग
क	0	0	0	0	1	1
ख	0	0	0	0	3	3
ग	12	22	2	1	15	52
घ	17	89	5	4	23	138
योग	**29**	**111**	**7**	**5**	**42**	**194**

3. स्वायत्तशासी निकायों/निगमों/उपक्रमों के कर्मियों को सरकारी विभाग में संविदा/बॉडी शापिंग के आधार पर कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या:1/6/97-का-4-1998 दिनांक 11 नवम्बर, 1998 के अनुसार रूग्ण निगमों के सरप्लस कर्मचारियों को सरकारी विभाग में संविदा/बॉडी शापिंग के माध्यम से नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था है।

4. तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित समूह 'घ' के 138 नियमित कर्मचारियों (जो कि छठवें वेतनमान में 5200-20200, ग्रेड-पे 1800-2800 में कार्यरत हैं) में से सरप्लस 101 कर्मचारियों को कृषि विभाग के अधीन विभागों में रिक्त पदों पर बॉडी शापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर किए जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

I. यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के चिन्हित समूह 'घ' के कार्मिकों को कृषि विभाग के अधीन विभाग में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष कार्मिक विभाग के शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:1/6/97-का-4-1998 दिनांक 11 नवम्बर, 1998 के आलोक में बॉडी-शापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा।

II. कृषि विभाग के अधीन विभागों में बॉडी-शापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले उक्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति विषयक सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित आयु सीमा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि की सीमा से मुक्त रखा जाएगा।

III. यह कार्मिक सेवानिवृत्ति से पूर्व (यथासम्भव 06 माह पूर्व) अपने मूल निगम/संगठन यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 अनिवार्य रूप से वापस भेज दिये जायेंगे तथा उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात देयकों का सारा दायित्व पूर्व की भॉति यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 में ही रहेगा।

IV. यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के उक्त कार्मिकों को उनके कार्य अनुभव एवं दक्षता के दृष्टिगत पदों की अर्हता के सम्बन्ध में यथावश्यकता शिथिलता प्रदान करते हुए उक्तानुसार कृषि विभाग के अधीन विभागों में सेवायोजित किया जाएगा।

V. उक्त कार्मिकों को यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 में अनुमन्य वेतन तथा भत्ते के समतुल्य धनराशि का भुगतान कृषि विभाग के द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की पेंशन का दायित्व राज्य सरकार का नहीं होगा।

VI. यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के सरप्लस 101 कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि को सेवा संबंधी/सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु गणना की जाएगी।

5. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्मिकों को कृषि विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रतिनियुक्ति पर रखे जा रहे कार्मियों कि क्या उनकी नियुक्तियाँ नियमानुसार हुई हैं तथा इनमें से किसी की नियुक्ति/नियुक्तियों में कोई विवाद तो नहीं है, यदि ऐसा है तो उन्हें पृथक कर दिया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:98/2023/1733(1)/2023/12-2099/50/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अजय कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in